न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –53 / 2021

दायर दिनांक –11.10.2021

निर्णय दिनांक – 22.11.2021

जीसीएमएस नं0 – 2021 / 124

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती रसीदन बेगम पत्नी श्री शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के पास बड़ी बस्ती पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री फिरोज मोहम्मद, अधि0, प्रार्थीया
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नं. 368 / 2773 का मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व मानचित्र में प्रार्थीया व उसके पड़ौसी खातेदार के कब्जा व रकबा अनुसार राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीया अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने उल्लेख किया है कि ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर में स्थित आराजी जिसके नामान्तकरण संत्र 852 दिनांक 28.06.2018 जरिये बंटवारा खसरा न. 368 / 2773 से दो नये खसरा नं. 3066 / 368 रकबा 0.20 हैक्ट. एवं 3067 / 368 रकबा 0.08 हैक्ट. बने जबकि मौके पर मूल खसरा तीन भागों में विभक्त है परन्तु बंटवारा करते समय सहवन से दो भागों में ही विभक्त किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:36 IST
Reason: SelfAttested

22.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2207 दिनांक 01.11.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " प्रार्थीया रसीदन बेगम पत्नि शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान के नाम ग्राम गनाहेड़ा का खसरा नम्बर 3066/368 रकबा 0.20 है। उक्त खसरा विभाजन के नामान्तरकरण संख्या 852 दिनांक 28.06.2018 के रिकार्ड में आया है। मूल खसरा 368/2773 रकबा 0.28 जयसिह महावीसिह पि. भंवरलाल जाति रावत हि. 18/68 एवं रसीदन बेगम पत्नि शरीफ मोहम्मद हि. 25/34 जाति मुसलमान के नाम दर्ज था। विभाजन से मूल खसरे के दो नए खसरे 3066/368 रकबा 0.20 (रसीदन बेगम पत्नि शरीफ मोहम्मद) व 3067/368 रकबा 0.08 (जयसिह महावीरसिह पि. भंवरलाल) बने है। जबकि जयसिह महावीरसिह पि. भंवरलाल के हिस्से का रकबा 0.08 हैक्टेयर मौके पर खसरा नम्बर 3066/368 के दोनों तरफ दो भागों में स्थित है। इस प्रकार मौकरा अनुसार खसरा नम्बर 368/2773 (मूल खसरा) मौके पर तीन भागों में होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में तीन खसरा नम्बरान में दर्ज किया जाना उचित है। जिसकी नजरी नक्शा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में संलग्न है। अतः मौका स्थिति अनुसार खसरा 3067/368 रकबा 0.0800 हैक्टेयर को संबंधित खातेदार जयसिह महावीरसिह पि. भंवरलाल के नाम यथावत रखते हुए दो नए खसरा नम्बर 3067/368/1 रकबा 0.07 एवं 3067/368/2 रकबा 0.0100 हैक्टेयर दर्ज किया जाना उचित है।"

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के मौका अनुसार खसरा नम्बर 368/2773 (मूल खसरा) मौके पर तीन भागों में होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में तीन खसरा नम्बरान में दर्ज करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अवस्थित आराजी कृषि भूमि के मौका स्थिति अनुसार खसरा 3067/368 रकबा 0.0800 हैक्टेयर को संबंधित खातेदार जयसिह महावीरसिह पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

भंवरलाल के नाम यथावत रखते हुए दो नए खसरा नम्बर 3067/368/1 रकबा 0.07 एवं 3067/368/2 रकबा 0.0100 हैक्टेयर दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

22.11.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:36 IST
Reason: SelfAttested